

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 226/2024

अनवान : -

1. भीमसैन पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. साधूराम पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र बिसाऊराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. मुन्नी देवी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विनोद देवी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. भंवरी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 08/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 7/4 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि एवं रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 15/13 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझौत किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 7/4 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि के प0 नं0 301/424 (20) के किला नं. 1, 10, 11, 12, 19 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि पर वादी काबिज है एवं शेष भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी

al  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

सम्बत 2070-2073 के खाता संख्या 15/13 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है 0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं 0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 0 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 के खाता संख्या 7/4 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है 0 भूमि एवं रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 के खाता

  
उपस्थित अधिकारी  
नोहर

संख्या 15/13 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 7/4 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 301/424 (20) के किला नं. 1, 10, 11, 12, 19 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस खाते की शेष भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है तथा रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 15/13 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 226/2024

अनवान : -

1. भीमसैन पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. साधूराम पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र बिसाऊराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. मुन्नी देवी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विनोद देवी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. भंवरी पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 226 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 7/4 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.5300 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 301/424 (20) के किला नं. 1, 10, 11, 12, 19 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस खाते की शेष भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है तथा रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 15/13 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.7590 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर